न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, **चेतन देवड़ा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2019 (रसद)
पंजीयन दिनांक 28.11.2019

राज्य सरकार जरिये ज्योति खटीक, प्रवर्तन निरीक्षक, राशमी (चित्तौड़गढ़)

-प्रार्थी

बनाम

श्री देवेन्द्र कुमार रेगर पिता तुलसीराम रेगर राजलक्ष्मी मोटर्स, अम्बेश वाटिका सर्किल, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

-विपक्षी

कार्यवाहीः-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थिति : 1-प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.11.2019 को समय 3.25 पी. एम., भीलवाड़ा मार्ग पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास राजलक्ष्मी मोटर्स, राशमी पर विपक्षी के विरूद्ध अवैध रिफिलिंग की सूचना मिलने पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशों की पालना में शिकायत स्थल पर पहुंच जांच की गई, मौके पर विपक्षी श्री देवेन्द्र कुमार रेगर उपस्थित पाये गये। मौतबिरान के समक्ष राजलक्ष्मी मोटर्स परिसर का निरीक्षण करने पर वहां 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय रिफिलिंग मोटर पाए गए। वक्त निरीक्षण विपक्षी एक मारूति ओम्नी में रिफिलिंग का कार्य पूर्ण कर चुका था। मौके पर विपक्षी श्री देवेन्द्र कुमार रेगर से घरेलू गैस के भण्डारण, गैस रिफिलिंग एवं गैस ट्रान्सफर के संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगने पर श्री देवेन्द्र कुमार रेगर ने ऐसे किसी भी दस्तावेज के होने से इन्कार कर दिया। मौके पर राशमी इण्डेन गैस के हॉकर को बुलाकर तौल करवाया

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

तो चारों सिलेण्डरों में कुल 31.4 कि. ग्रा. गैस भरी हुई पाई गई। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाने से एल. पी. जी. गैस से भरे हुए 4 गैस सिलेण्डर मय गैस मात्रा 31.4 कि. ग्रा. एवं मोटर (एल्फा कम्पनी का मार्का, 1 एच. पी.) मय रिफिलिंग पाईप जब्त कर, उक्त जब्त शुदा सामग्री के निस्तारण हेतु यह प्रकरण प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना-पत्र जारी किया गया। विपक्षी स्वयं ने दिनांक 24.12.2019 एवं 21.01.2020 को उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, उसके पश्चात् विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नही किया जा सकता है। दिनांक 12.11.2019 को विपक्षी के प्रतिष्ठान पर जांच करने पर विपक्षी के प्रतिष्ठान में विपक्षी के कब्जे में घरेलू गैस के 4 सिलेण्डर व 1 मोटर मय रिफिलिंग पाईप अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस, 1 मोटर मय रिफिलिंग पाईप आदि राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर वहां घरेलू श्रेणी के 4 गैस सिलेण्डर जिनमें कुल 31.4 कि. ग्रा. गैस भरी हुई तथा गैस रिफिलिंग की एक मोटर मय पाईप अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उपस्थित विपक्षी से उक्त गैस सिलेण्डर के वैध दस्तावेज मांगने पर विपक्षी द्वारा उक्त सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

इस प्रकार विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नही किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपने प्रतिष्ठान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया है। अतः जब्तशुदा एल. पी. जी. गैस के घरेलू श्रेणी के 04 गैस सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 31.4 कि. ग्रा. गैस तथा 1 मोटर (एल्फा कम्पनी का मार्का, 1 एच. पी.) मय रिफिलिंग पाईप राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करने हुए जब्त शुदा घरेलू श्रेणी के 04 गैस सिलेण्डर जिनमें भरी हुई कुल 31.4 कि. ग्रा. गैस, 1 मोटर (एल्फा कम्पनी का मार्का, 1 एच. पी.) मय रिफिलिंग पाईप राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों मय अन्य सामग्री के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़